



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092026-276003
CG-DL-E-05092026-276003

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4689]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948

No. 4689]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

का.आ. 4876(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्यप्रदेश राज्य के सागर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-146 के नवीन सागर लिंक रोड बायपास के कि.मी. 14+540 से कि.मी. 23+423 (सागर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधि. (राजस्व), सागर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के सागर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-146 के नवीन सागर लिंक रोड बायपास के कि.मी.14+540 से कि.मी. 23+423 (सागर) तक सड़क निर्माण/चौड़ीकरण हेतु अर्जित की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: सागर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सागर					
गांव का नाम: रतौना					
1	155	सरकारी	(रास्ता)	3.12 (हेक्टेयर)	3.12
गांव का नाम: लहदरा					
2	194	सरकारी	(रास्ता)	4.01 (हेक्टेयर)	4.01
3	195	सरकारी	(रास्ता)	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
गांव का नाम: भापेल					
4	1292	सरकारी	(रास्ता)	1.0973 (हेक्टेयर)	1.0973
5	1293	निजी	(सिंचित)	0.2294 (हेक्टेयर)	0.2294
6	1294	निजी	(सिंचित)	0.208 (हेक्टेयर)	0.208
7	1295	निजी	(सिंचित)	0.0505 (हेक्टेयर)	0.0505
8	1296	निजी	(सिंचित)	0.1688 (हेक्टेयर)	0.1688
9	1302	निजी	(सिंचित)	0.0332 (हेक्टेयर)	0.0332
10	1303	निजी	(सिंचित)	0.4641 (हेक्टेयर)	0.4641
11	1304	निजी	(सिंचित)	0.1685 (हेक्टेयर)	0.1685
12	1305	निजी	(सिंचित)	0.154 (हेक्टेयर)	0.154
13	1321	सरकारी	(रास्ता)	0.0059 (हेक्टेयर)	0.0059
14	1467	सरकारी	(रास्ता)	0.0184 (हेक्टेयर)	0.0184
15	1784	निजी	(असिंचित)	0.0677 (हेक्टेयर)	0.0677
16	677	निजी	(असिंचित)	0.021 (हेक्टेयर)	0.021

17	678	निजी	(असिंचित)	0.0205 (हेक्टेयर)	0.0205
18	679/1	निजी	(असिंचित)	0.0136 (हेक्टेयर)	0.0136
19	681/1	निजी	(असिंचित)	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
20	681/2	निजी	(असिंचित)	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
21	682/1	निजी	(असिंचित)	0.0323 (हेक्टेयर)	0.0323
22	682/2	निजी	(सिंचित)	0.0462 (हेक्टेयर)	0.0462
23	697	सरकारी	(रास्ता)	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
24	698	निजी	(सिंचित)	0.0376 (हेक्टेयर)	0.0376
25	700	निजी	(सिंचित)	0.0163 (हेक्टेयर)	0.0163
26	701	सामान्य	(सिंचित/असिंचित)	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
27	702	निजी	(असिंचित)	0.0113 (हेक्टेयर)	0.0113
28	703	निजी	(सिंचित)	0.1543 (हेक्टेयर)	0.1543
29	706	सरकारी	(रास्ता)	0.0177 (हेक्टेयर)	0.0177
30	707	निजी	(सिंचित)	0.0128 (हेक्टेयर)	0.0128
31	712	निजी	(सिंचित)	0.0153 (हेक्टेयर)	0.0153
32	714	सरकारी	(रास्ता)	0.0142 (हेक्टेयर)	0.0142
33	757	सरकारी	(असिंचित)	0.2044 (हेक्टेयर)	0.2044
34	759	सरकारी	(स्कूल)	0.1024 (हेक्टेयर)	0.1024
35	762	सरकारी	(रास्ता)	0.5993 (हेक्टेयर)	0.5993
36	788/2	निजी	(सिंचित/व्यपवर्तित)	0.0186 (हेक्टेयर)	0.0186
37	789	निजी	(असिंचित)	0.1168 (हेक्टेयर)	0.1168
38	796	निजी	(असिंचित)	0.0562 (हेक्टेयर)	0.0562
39	797	सरकारी	(चारागाह)	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
40	798	सरकारी	(भू जल)	0.0279 (हेक्टेयर)	0.0279
41	799	निजी	(असिंचित)	0.0782 (हेक्टेयर)	0.0782
42	800	सरकारी	(रास्ता)	0.0134 (हेक्टेयर)	0.0134
43	801	सरकारी	(चारागाह)	0.0179 (हेक्टेयर)	0.0179
44	853	निजी	(सिंचित)	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
45	854/1	निजी	(असिंचित)	0.0331 (हेक्टेयर)	0.0331
46	854/2	निजी	(असिंचित)	0.024 (हेक्टेयर)	0.024

47	855	निजी	(असिंचित)	0.0463 (हेक्टेयर)	0.0463
48	859	निजी	(सिंचित)	0.0468 (हेक्टेयर)	0.0468
49	860	निजी	(असिंचित)	0.0311 (हेक्टेयर)	0.0311
50	860/1791	निजी	(असिंचित)	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
51	861	निजी	(सिंचित)	0.0056 (हेक्टेयर)	0.0056
52	861/1790	निजी	(असिंचित)	0.0672 (हेक्टेयर)	0.0672
53	897	सरकारी	(रास्ता)	0.0104 (हेक्टेयर)	0.0104
54	905	निजी	(सिंचित)	0.0795 (हेक्टेयर)	0.0795
55	906	निजी	(सिंचित)	0.0703 (हेक्टेयर)	0.0703
56	907	निजी	(सिंचित)	0.0587 (हेक्टेयर)	0.0587
57	908	निजी	(सिंचित)	0.0581 (हेक्टेयर)	0.0581
58	924	सरकारी	(चारागाह)	0.3822 (हेक्टेयर)	0.3822
59	925	निजी	(असिंचित)	0.0047 (हेक्टेयर)	0.0047
60	926	सरकारी	(रास्ता)	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
61	931	निजी	(सिंचित)	0.1194 (हेक्टेयर)	0.1194
62	931/1804	निजी	(सिंचित)	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
63	932	निजी	(असिंचित)	0.1209 (हेक्टेयर)	0.1209
64	933/1	निजी	(सिंचित)	0.0544 (हेक्टेयर)	0.0544
65	934	निजी	(सिंचित/व्यपवर्तित)	0.1843 (हेक्टेयर)	0.1843
66	935	निजी	(सिंचित)	0.082 (हेक्टेयर)	0.082
67	945	निजी	(सिंचित)	0.1619 (हेक्टेयर)	0.1619
68	946	निजी	(सिंचित)	0.1003 (हेक्टेयर)	0.1003
69	947	निजी	(सिंचित)	0.2651 (हेक्टेयर)	0.2651
70	948/1	निजी	(सिंचित)	0.324 (हेक्टेयर)	0.324
71	952	निजी	(सिंचित)	0.077 (हेक्टेयर)	0.077
72	955	निजी	(सिंचित)	0.1899 (हेक्टेयर)	0.1899
73	956	निजी	(सिंचित)	0.2055 (हेक्टेयर)	0.2055
74	957	निजी	(सिंचित/व्यपवर्तित)	0.3004 (हेक्टेयर)	0.3004
75	958	निजी	(सिंचित)	0.0862 (हेक्टेयर)	0.0862
76	959	निजी	(सिंचित)	0.1105 (हेक्टेयर)	0.1105

77	960	निजी	(सिंचित)	0.1199 (हेक्टेयर)	0.1199
78	961	सरकारी	(रास्ता)	5.02 (हेक्टेयर)	5.02
79	976	निजी	(सिंचित)	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
80	978	निजी	(सिंचित)	0.0063 (हेक्टेयर)	0.0063
81	980	निजी	(सिंचित)	0.0222 (हेक्टेयर)	0.0222
82	982	निजी	(सिंचित)	0.0666 (हेक्टेयर)	0.0666
83	986	निजी	(सिंचित)	0.0509 (हेक्टेयर)	0.0509
गांव का नाम: चकरोदा					
84	7	सरकारी	(रास्ता)	0.0231 (हेक्टेयर)	0.0231
Total					20.2014

[फा. सं. NHAI/PIU/SAG/SLR/B-L/2026/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2026

S.O. 4876(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation in the stretch of land New Sagar Link Road Bypass on National Highway-146 from Km. 14+540 to Km. 23+423 (Sagar) in the district of SAGAR in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO (Revenue), Sagar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures falling of the New Sagar Link Road Bypass on National Highway-146 from Km. 14+540 to Km. 23+423 (Sagar) in District Sagar, State of Madhya Pradesh.

State: MADHYA PRADESH			District: SAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sagar					
Village: Ratona					
1	155	Government	(Rasta)	3.12 (Hectare)	3.12
Village: Lahdara					
2	194	Government	(Rasta)	4.01 (Hectare)	4.01
3	195	Government	(Rasta)	0.02 (Hectare)	0.02
Village: Bhapel					
4	1292	Government	(Rasta)	1.0973 (Hectare)	1.0973
5	1293	Private	(Irrigated)	0.2294 (Hectare)	0.2294
6	1294	Private	(Irrigated)	0.208 (Hectare)	0.208
7	1295	Private	(Irrigated)	0.0505 (Hectare)	0.0505
8	1296	Private	(Irrigated)	0.1688 (Hectare)	0.1688
9	1302	Private	(Irrigated)	0.0332 (Hectare)	0.0332
10	1303	Private	(Irrigated)	0.4641 (Hectare)	0.4641
11	1304	Private	(Irrigated)	0.1685 (Hectare)	0.1685
12	1305	Private	(Irrigated)	0.154 (Hectare)	0.154
13	1321	Government	(Rasta)	0.0059 (Hectare)	0.0059
14	1467	Government	(Rasta)	0.0184 (Hectare)	0.0184
15	1784	Private	(Non Irrigated)	0.0677 (Hectare)	0.0677
16	677	Private	(Non Irrigated)	0.021 (Hectare)	0.021
17	678	Private	(Non Irrigated)	0.0205 (Hectare)	0.0205
18	679/1	Private	(Non Irrigated)	0.0136 (Hectare)	0.0136
19	681/1	Private	(Non Irrigated)	0.01 (Hectare)	0.01
20	681/2	Private	(Non Irrigated)	0.01 (Hectare)	0.01
21	682/1	Private	(Non Irrigated)	0.0323 (Hectare)	0.0323
22	682/2	Private	(Irrigated)	0.0462 (Hectare)	0.0462
23	697	Government	(Rasta)	0.01 (Hectare)	0.01
24	698	Private	(Irrigated)	0.0376 (Hectare)	0.0376
25	700	Private	(Irrigated)	0.0163 (Hectare)	0.0163
26	701	Common	(Irrigated/Non Irrigated)	0.016 (Hectare)	0.016
27	702	Private	(Non Irrigated)	0.0113 (Hectare)	0.0113
28	703	Private	(Irrigated)	0.1543 (Hectare)	0.1543
29	706	Government	(Rasta)	0.0177 (Hectare)	0.0177
30	707	Private	(Irrigated)	0.0128 (Hectare)	0.0128
31	712	Private	(Irrigated)	0.0153 (Hectare)	0.0153
32	714	Government	(Rasta)	0.0142 (Hectare)	0.0142
33	757	Government	(Non Irrigated)	0.2044 (Hectare)	0.2044

34	759	Government	(School)	0.1024 (Hectare)	0.1024
35	762	Government	(Rasta)	0.5993 (Hectare)	0.5993
36	788/2	Private	(Irrigated/ Diverted)	0.0186 (Hectare)	0.0186
37	789	Private	(Non Irrigated)	0.1168 (Hectare)	0.1168
38	796	Private	(Non Irrigated)	0.0562 (Hectare)	0.0562
39	797	Government	(Charagah)	0.01 (Hectare)	0.01
40	798	Government	(Bhu Jal)	0.0279 (Hectare)	0.0279
41	799	Private	(Non Irrigated)	0.0782 (Hectare)	0.0782
42	800	Government	(Rasta)	0.0134 (Hectare)	0.0134
43	801	Government	(Charagah)	0.0179 (Hectare)	0.0179
44	853	Private	(Irrigated)	0.023 (Hectare)	0.023
45	854/1	Private	(Non Irrigated)	0.0331 (Hectare)	0.0331
46	854/2	Private	(Non Irrigated)	0.024 (Hectare)	0.024
47	855	Private	(Non Irrigated)	0.0463 (Hectare)	0.0463
48	859	Private	(Irrigated)	0.0468 (Hectare)	0.0468
49	860	Private	(Non Irrigated)	0.0311 (Hectare)	0.0311
50	860/1791	Private	(Non Irrigated)	0.01 (Hectare)	0.01
51	861	Private	(Irrigated)	0.0056 (Hectare)	0.0056
52	861/1790	Private	(Non Irrigated)	0.0672 (Hectare)	0.0672
53	897	Government	(Rasta)	0.0104 (Hectare)	0.0104
54	905	Private	(Irrigated)	0.0795 (Hectare)	0.0795
55	906	Private	(Irrigated)	0.0703 (Hectare)	0.0703
56	907	Private	(Irrigated)	0.0587 (Hectare)	0.0587
57	908	Private	(Irrigated)	0.0581 (Hectare)	0.0581
58	924	Government	(Charagah)	0.3822 (Hectare)	0.3822
59	925	Private	(Non Irrigated)	0.0047 (Hectare)	0.0047
60	926	Government	(Rasta)	0.032 (Hectare)	0.032
61	931	Private	(Irrigated)	0.1194 (Hectare)	0.1194
62	931/1804	Private	(Irrigated)	0.007 (Hectare)	0.007
63	932	Private	(Non Irrigated)	0.1209 (Hectare)	0.1209
64	933/1	Private	(Irrigated)	0.0544 (Hectare)	0.0544
65	934	Private	(Irrigated/ Diverted)	0.1843 (Hectare)	0.1843
66	935	Private	(Irrigated)	0.082 (Hectare)	0.082
67	945	Private	(Irrigated)	0.1619 (Hectare)	0.1619
68	946	Private	(Irrigated)	0.1003 (Hectare)	0.1003
69	947	Private	(Irrigated)	0.2651 (Hectare)	0.2651
70	948/1	Private	(Irrigated)	0.324 (Hectare)	0.324
71	952	Private	(Irrigated)	0.077 (Hectare)	0.077
72	955	Private	(Irrigated)	0.1899 (Hectare)	0.1899
73	956	Private	(Irrigated)	0.2055 (Hectare)	0.2055
74	957	Private	(Irrigated/ Diverted)	0.3004 (Hectare)	0.3004
75	958	Private	(Irrigated)	0.0862 (Hectare)	0.0862

76	959	Private	(Irrigated)	0.1105 (Hectare)	0.1105
77	960	Private	(Irrigated)	0.1199 (Hectare)	0.1199
78	961	Government	(Rasta)	5.02 (Hectare)	5.02
79	976	Private	(Irrigated)	0.0006 (Hectare)	0.0006
80	978	Private	(Irrigated)	0.0063 (Hectare)	0.0063
81	980	Private	(Irrigated)	0.0222 (Hectare)	0.0222
82	982	Private	(Irrigated)	0.0666 (Hectare)	0.0666
83	986	Private	(Irrigated)	0.0509 (Hectare)	0.0509
Village: Chakroda					
84	7	Government	(Rasta)	0.0231 (Hectare)	0.0231
Total					20.2014

[F. No. NHAI/PIU/SAG/SLR/B-L/2026/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director